प्रेस नोट थाना राजघाट जनपद गोरखपुर दिनांक 19.03.2023

लूट कारित करने के आरोप में अभियुक्त गिरफ्तार, लूट का माल बरामद

विषय पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा जनपद गोरखपुर में महिलाओं के विरुद्ध हो रहे छिनैती/चैन स्नेचिंग की घटनाओं की रोकथाम एवं अपराधियों के गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर गोरखपुर के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी कोतवाली के कुशल पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष राजघाट राजेन्द्र सिंह के नेतृत्व में मुखबीर की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 0103/2023 धारा 392,411 भा0द0सं0 से सम्बन्धित अभियुक्त रोशन वर्मा पुत्र दीपक वर्मा निवासी हाँसुपुर आटा चक्की के पास थाना राजघाट जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया, अभियुक्त के कब्जे से लूट का 01 अदद कान का झूमका अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता –

रोशन वर्मा पुत्र दीपक वर्मा निवासी हाँसुपुर आटा चक्की के पास थाना राजघाट जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 103/2023 धारा 392,411 भादसं0 थाना राजघाट जनपद गोरखपुर।

बरामदगी- 01 अदद कान का झुमका

बरामद व गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी/कर्मचारीगण का नाम-

- 1- उ0िन0िदिग्विजय सिंह परमार चौकी प्रभारी रहमतनगर थाना राजघाट जनपद गोरखपुर।
- 2- का0 चन्दन सिंह थाना राजघाट जनपद गोरखपुर।
- 3- का0 विनोद कुमार थाना राजघाट जनपद गोरखपुर।